

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय, मध्यप्रदेश

::परिपत्र क्रमांक-05::

क्रमांक 761 /निस/डीजी/ 2017

कैम्प-भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017


प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अधिकारी एवं कर्मचारी बिना अपने वरिष्ठ अधिकारी/ नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के होमगार्ड, मुख्यालय, जबलपुर एवं कैम्प मुख्यालय, भोपाल गुजारिश अथवा अन्य शासकीय कार्य से आ जाते हैं, जो उचित नहीं है।

2. भविष्य में निर्देशित किया जाता है कि जब कभी भी जिलों के अधिनस्थ अधिकारी जाते हैं तो वह जिला सेनानी अथवा संभागीय सेनानी से अनुमति प्राप्त करें।

3. जिला सेनानी/संभागीय सेनानी/सीनियर स्टाफ आफीसर स्तर के समस्त अधिकारी, जो एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड के कनिष्ठ हैं, बिना उनकी सूचना/अनुमति के मुख्यालय नहीं आयेंगे।

4. अगर कोई कमेटी अथवा डी0जी0महोदय या उनके कार्यालय अथवा शासन की कोई मीटिंग में भी आते हैं तो एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल को बिना पूर्व सूचना के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।



(महान भारत सागर)
महानिदेशक, 19.12

होमगार्ड, एवं नागरिक सुरक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / 762 /निस/डी0जी0/होमगार्ड 2017, कैम्प, भोपाल, दिनांक 19-12-2017.

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- एडीशनल डायरेक्टर जनरल, आपदा प्रबंधन, भोपाल।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड, म0प्र0, जबलपुर।
- 3- उप महानिरीक्षक, आपदा प्रबंधन, भोपाल।
- 4- एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड, म0प्र0, मुख्यालय, जबलपुर।
- 5- सीनियर स्टाफ आफीसर(स्था/प्रशि0/वित्त)।
- 6- कमाण्डेण्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड, मंगेली, जबलपुर।
- 7- समस्त डिवीजनल कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/ आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश।
- 8- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट, होमगार्ड/ आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश।


महानिदेशक, 19.12

होमगार्ड, एवं नागरिक सुरक्षा
मध्यप्रदेश

आन्तरिक :-

जे0एस0ओ0(स्था0/प्रशि)
कार्या0अधीक्षक / सहा0अधी0
स्थापना शाखा / निरी0शाखा